R.No. MAHHIN/2004/14131
Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14

मासिक शुल्क : ₹ 1 मात्र

खण्ड IX ◆ अंक 2
अगस्त 2012

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

शाखा बैंकिंग

बुनियादी बचत बैंक जमा खाता

संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली में अधिक समरूप रीति से बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि बैंक अपने सभी ग्राहकों के लिए एक "बुनियादी बचत बैंक जमा खाता" खोलने का प्रस्ताव दें। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे ऐसे खाताधारकों को निम्नलिखित न्यूनतम सामान्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं:

- किसी न्यूनतम शेष की अपेक्षा नहीं रहेगी।
- बैंक की शाखा के साथ-साथ एटीएम में नकदी जमा और आहरण सुविधा होगी।
- इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों अथवा केंद्र/राज्य सरकार की एजेंसियों और विभागों द्वारा आहरित चेकों के जमा/संग्रहण के माध्यम से धन प्राप्ति /जमा इसमें शामिल होगी।
- एक माह के दौरान जमा करने की संख्या पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
- एक माह के अंदर एटीएम आहरणों सहित अधिकतम चार आहरणों की ही अनुमति होगी।
- एटीएम कार्ड अथवा एटीएम-सह-डेबिट कार्ड की सुविधा होगी।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे उपर्युक्त सुविधाएं बिना किसी प्रभार के उपलब्ध कराएं। साथ ही, खातों का परिचालन न होने / अपरिचालित खाते को सक्रिय करने के लिए किसी प्रकार का प्रभार नहीं लगाएँ।

बैंक तर्कसंगत एवं पारदर्शी आधार पर निर्धारित बुनियादी न्यूनतम सेवाओं से परे अतिरिक्त मूल्यवर्धित सेवाओं के लिए कीमतें तय करने वाली संरचना सहित अन्य अपेक्षाएं विकसित करने तथा उन्हें भेदभाव-रहित आधार पर लागू करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/ धनशोधन निवारण (एएमएल) पर समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अनुदेशों के अधीन होगा। यदि ऐसा खाता सरलीकृत केवाईसी मानकों के आधार पर खोला जाता है, तो इस खाते को 'लघु खाता' भी माना जाएगा और उस पर अपने ग्राहक को जानिए मानदंड/धनशोधन निवारण मानक/ आतंकवाद के वित्तपोषण का प्रतिरोध (सीएफटी)/बैंकों के दायित्व पर 02 जुलाई 2012 के पीएमएलए, 2002 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन होगा।

'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' के धारक उसी बैंक में कोई अन्य बचत बैंक जमा खाता खोलने के लिए पात्र नहीं होंगे। यदि उस बैंक में किसी ग्राहक का कोई दूसरा बचत बैंक जमा खाता पहले से मौजूद है, तो उसे 'बुनियादी बचत बैंक जमा खाता' खोलने की तिथि से 30 दिनों के भीतर बंद करना होगा।

मौजूदा बुनियादी बैंकिंग 'नो फ्रिल्स' खातों को 'बुनियादी बचत बैंक जमा खातों' में परिवर्तित कर दिया जाए।

जमाराशियों पर ब्याज दर

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे देयताओं की कीमतें निर्धारित करने के संबंध में बोर्ड द्वारा मंजूर की गई एक पारदर्शी नीति लागू करें। यह भी सुनिश्चित करें कि 15 लाख रुपये एवं उससे अधिक की एकल सावधि जमाराशियों तथा समान परिपक्वता अवधि की अन्य (अर्थात 15 लाख रुपये से कम) सावधि जमाराशियों पर दी जाने वाली ब्याज दरों में न्यूनतम अंतर है।

यह देखा गया है कि 15 लाख रुपये तथा उससे अधिक की एकल जमाराशियों तथा समान परिपक्वता अवधि की अन्य (अर्थात 15 लाख रुपये से कम की) जमाराशियों पर बैंकों द्वारा दी जाने वाली ब्याज दरों में

विषय सूची

	पृष्ठ
शाखा बैंकिंग	
बुनियादी बचत बैंक जमा खाता	1
जमाराशियों पर ब्याज दर	1
मीयादी/सावधि जमा की अवधिपूर्व चुकौती	2
फुटकर खर्च	2
वर्ष 2012-13 के लिए मौद्रिक नीति वक्तव्य की पहली तिमाही समीक्षा	**2**
भुगतान प्रणाली	
स्थानीय चेकों के समाशोधन में होने वाली देरी के संबंध में क्षतिपूर्ति	2
मल्टीसिटी/सभी शाखाओं पर देय चेकों को जारी करना	2
नीति	
सांविधिक चलनिधि अनुपात घटाया गया	3
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	
टियर 2 के केन्द्रों के लिए शाखा लाइसेंस नीति में छूट	3
शाखा लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया	3
फेमा	
विदेशी मुद्रा अर्जकों/निर्यातकों/प्राधिकृत व्यापारी को रियायतें	3
उल्लंघनों की कंपाउंडिंग	3
सूचना	
अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) को कारगर बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति	4
सरकारी प्रतिभूतियों में चलनिधि बढ़ाने तथा ब्याज दर डेरिवेटिव बाजारों पर कार्यदल की रिपोर्ट	4

काफी भिन्नताएँ हैं। साथ ही, बैंक उन जमाराशियों पर भी काफी अलग अलग ब्याज दर दे रहे हैं जिनकी परिपक्वता अवधि में बहुत कम अंतर है। इससे चलनिधि प्रबंधन प्रणाली और कीमत निर्धारण प्रक्रिया में कमी का पता चलता है।

मीयादी/सावधि जमा की अवधिपूर्व चुकौती

रिज़र्व बैंक ने पुनः यह कहा है कि 'कोई एक अथवा उत्तरजीवी' अथवा दोनों खाताधारकों में से 'प्रथम खाताधारक अथवा उत्तरजीवी' अधिदेश वाली सावधि/मीयादी जमाराशियों के मामले में बैंक एक जमाकर्ता की मृत्यु के बाद उत्तरजीवी संयुक्त जमाकर्ता द्वारा जमाराशि के अवधिपूर्व आहरण की अनुमति केवल उसी स्थिति में दे सकते हैं जब संयुक्त जमाकर्ताओं की ओर से इस आशय का संयुक्त अधिदेश हो।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे खाता खोलने संबंधी फॉर्म में ही इस आशय का एक वाक्यांश शामिल करें कि जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने की स्थिति में मीयादी जमाराशियों की अवधिपूर्व समाप्ति की अनुमति दी जाएगी, जो उन शर्तों के अधीन होगी जिन्हें खाता खोलने संबंधी फॉर्म में विनिर्दिष्ट किया जाएगा। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे अपने मौजूदा एवं भावी सावधि जमाकर्ताओं को इस प्रकार के विकल्प की उपलब्धता के बारे में सूचित भी करें।

संयुक्त जमाकर्ताओं को मीयादी जमा करते समय या बाद में जमा की मीयाद/अवधि के दौरान किसी भी समय उक्त अधिदेश देने की अनुमति दी जा सकती है। यदि ऐसा अधिदेश प्राप्त किया जाता है, तो बैंक मृतक के संयुक्त जमा धारक के कानूनी वारिसों की सहमति मांगे बिना ही उत्तरजीवी जमाकर्ता द्वारा मियादी/ सावधि जमा के परिपक्वतापूर्ण आहरण की अनुमति दे सकते हैं। यह पुनः दुहराया जाता है कि इस प्रकार के परिपक्वतापूर्व आहरण पर किसी प्रकार का दंडात्मक प्रभार नहीं लगेगा।

फुटकर खर्च

यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय बैंक संघ(आईबीए) द्वारा सदस्य बैंकों की ओर से फुटकर खर्च निर्धारित करने की प्रथा समाप्त कर दी जाए। फुटकर खर्च की वसूली करने का निर्णय स्वयं बैंकों पर छोड़ दिया जाए। बैंकों को सूचित किया गया है कि वे फुटकर खर्चों की वसूली करते समय यह सुनिश्चित करें कि प्रभार औचित्यपूर्ण है तथा वास्तविक लागत पर आधारित हैं।

पूर्व में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) अपने सदस्य बैंकों के लिए फुटकर (आउट ऑफ पाकेट) खर्च निर्धारित करता रहा है। यह पाया गया है कि फुटकर खर्च बैंकों द्वारा दस्तावेजों को प्रेषित/कूरियर करने, संचार तथा "स्विफ्ट" परिचालनों जैसी विनिर्दिष्ट गतिविधियों के लिए किए गए खर्चों से संबंधित होते हैं और यह कि ये दरें सेवा देने वाली एजेंसियों और सेवाओं की गुणवत्ता पर निर्भर करती हैं, जो कि अलग-अलग बैंकों में अलग-अलग होती हैं।

भुगतान प्रणाली

स्थानीय चेकों के समाशोधन में होने वाली देरी के संबंध में क्षतिपूर्ति

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को यह सूचित किया है कि वे स्थानीय चेकों के संग्रहण के मामले में भी देरी से किए गए भुगतान के संबंध में देय क्षतिपूर्ति को शामिल करने के लिए अपनी चेक संग्रहण नीति दुबारा तैयार करें। यदि स्थानीय चेक की वसूली में हुई देरी के संबंध में कोई दर विनिर्दिष्ट नहीं की गई है तो विलंब की संगत अवधि के लिए बचत बैंक ब्याज दर पर क्षतिपूर्ति की जाएगी।

बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि वे इस बात पर ध्यान दें कि वे अपनी संशोधित चेक संग्रहण नीति का प्रचार अपनी शाखाओं में स्थित सूचना पटल और अपनी वेबसाइट पर करें ताकि बेहतर ग्राहक सेवा और सूचना का प्रसार हो सके।

यह स्मरण होगा कि नवंबर 2008 में बैंकों को सूचित किया गया था कि वे स्थानीय चेकों सहित चेकों की वसूली की समय सीमा, यदि है का उल्लेख अपनी संबन्धित चेक संग्रहण नीति में करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया था कि वे स्थानीय चेकों के मामले में किसी भी स्थिति में संबन्धित वापसी समाशोधन के समाप्त होने के पश्चात बैंक को ग्राहक के खाते में आभासी क्रेडिट अवश्य दिखाएँ और किसी भी परिस्थिति में आहरण की अनुमति उसी दिन अथवा अधिक से अधिक अगले कार्यदिवस के आरंभ होने के एक घंटे के भीतर दें, बशर्ते सामान्य रक्षोपाय पूरे कर लिए गए हों।

वर्ष 2012-13 के लिए मौद्रिक नीति वक्तव्य की पहली तिमाही समीक्षा

डॉ. डी.सुब्बाराव, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के साथ एक बैठक में 31 जुलाई 2012 को वर्ष 2012-13 के लिए मौद्रिक नीति की पहली तिमाही समीक्षा प्रस्तुत की। मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

अनुमान

- वर्तमान वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का संशोधित अनुमान 7.3 प्रतिशत से नीचे लाते हुए 6.5 प्रतिशत किया गया है।
- मार्च 2013 के लिए थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति का बेसलाईन अनुमान 6.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.0 प्रतिशत किया गया है।
- वर्ष 2012-13 के लिए एम3 वृद्धि का अनुमान 15 प्रतिशत रखा गया है।

रूझान

- मुद्रास्फीति को रोक रखना तथा मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाओं को व्यवस्थित रखना।
- मध्यावधि के दौरान निरंतर वृद्धि पथ की सहायता करना।
- उत्पादक क्षेत्रों को ऋण उपलब्धता की सुविधा प्रदान करने के लिए चलनिधि उपलब्धता बनाए रखना।

मौद्रिक उपाय

- बैंक दर 9.0 प्रतिशत रखा गया।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 4.75 प्रतिशत रखा गया।
- अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर)24 प्रतिशत से घटाकर उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) का 23 प्रतिशत किया गया।
- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत रिपो दर 8.0 प्रतिशत रखी गई।
- चलनिधि समायोजन सुविधा के अंतर्गत रिपो दर से कम 100 आधार अंकों के अंतर पर निर्धारित प्रत्यावर्तनीय रिपो दर 7.0 प्रतिशत रखी गई।
- सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर जो रिपो दर से अधिक 100 आधार अंकों के अंतर पर है, वह 9.0 प्रतिशत रखी गई।

अपेक्षित परिणाम

नीति कार्रवाईयों और मार्गदर्शन से यह आशा की जाती है कि:

- मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति की प्रतिबद्धता के आधार पर मुद्रास्फीतिकारी प्रत्याशाएँ व्यवस्थित रहेंगी।
- अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को सहज ऋण प्रवाह की सुविधा प्रदान करने के लिए चलनिधि बनाई रखी जाएगी जिसके द्वारा वृद्धि को सहायता मिल सके।

मल्टीसिटी/सभी शाखाओं पर देय चेक जारी करना

देशभर में सभी समाशोधन स्थानों पर बाहरी चेकों के समाशोधन के लिए प्रसंस्करण के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता पर विचार करते हुए तथा चेक समाशोधन में और भी अधिक कुशलता लाने के लिए सभी सीबीएस सक्षम बैंकों को सूचित किया गया है कि वे सभी पात्र ग्राहकों को केवल "सममूल्य पर देय"/ "मल्टीसिटी" सीटीएस 2010 मानक चेक ही जारी करें। बैंकों को यह भी सूचित किया गया है कि खातों के जोखिम वर्गीकरण पर आधारित यथोचित बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंध प्रक्रिया को भी अपनाएँ। इसके अतिरिक्त चूंकि ऐसे चेकों (सममूल्य पर देय) को समाशोधन गृहों में स्थानीय चेक के रूप में समाशोधित किया जाता है इसलिए ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त बैंकों को सूचित किया गया है कि वे इस संबंध में बैंकों के बोर्ड द्वारा अनुमोदित अद्यतन नीति को बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराएँ और इस संबंध में ग्राहकों को भी सूचित करें।

यह पाया गया है कि कुछ बैंक "सममूल्य पर देय"/ "मल्टीसिटी" चेक, मूल्य की सीमा के साथ जारी कर रहे हैं जबकि कुछ बैंक खाते की श्रेणी (उच्च निवल मालियत वाले ग्राहक) के आधार पर चेक जारी कर रहे हैं। मूल शहर से भिन्न किसी अन्य शहर में इन चेकों के समाशोधन होने पर इंटरसोल प्रभार लिए जाने के भी कई उदाहरण सामने आए हैं।

नीति

सांविधिक चलनिधि अनुपात घटाया गया

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) 11 अगस्त 2012 को शुरू होनेवाले पखवाड़े से उनकी निवल माँग और मीयादी देयताओं (एनडीटीएल) के 24 प्रतिशत से घटाकर 23 प्रतिशत किया गया है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

टियर 2 के केन्द्र के लिए शाखा लाइसेंस नीति में छूट

टियर 2 केन्द्रों में बैंकिंग सेवाओं की शुरुआत को बढ़ावा देने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को टियर 3 से 6 केन्द्रों हेतु विद्यमान नीति के समान टियर 2 केन्द्रों में शाखाएं खोलने की अनुमति दी जाए। तदनुसार, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को टियर 2 केन्द्रों में (2001 की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या) रिज़र्व बैंक से प्रत्येक मामले में अनुमति लेने की आवश्यकता के बिना और इसकी रिपोर्टिंग की शर्त के अधीन शाखाएं खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी बशर्ते वे अद्यतन निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करते हों:

- जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में उनकी पूँजी का अनुपात (सीआरएआर) न्यूनतम 9% हो;
- निवल अनर्जक आस्तियाँ 5% से कम हों;
- पिछले वर्ष में उनके नकदी प्रारक्षित अनुपात (सीआरआर)/सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) में कोई चूक नहीं हुई हो ;
- गत वित्तीय वर्ष के दौरान निवल लाभ हुआ हो ;
- सीबीएस का अनुपालन करते हों।

उपर्युक्त शर्तें पूरी न करनेवाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अब तक की तरह , रिज़र्व बैंक/नाबार्ड से संपर्क बनाए रखाना होगा । क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा टियर 1 केन्द्रों में (2001 की जनगणना के अनुसार 100,000 तक की जनसंख्या वाले केन्द्र) शाखाएं खोलने के लिए भी भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति की आवश्यकता बनी रहेगी।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्योत्तर, स्वत: जारी लाइसेंस/लाइसेंसों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। खोली गई शाखा के परिसर में उनके ग्राहकों/जनता की जानकारी के लिए लाइसेंस को प्रदर्शित किया जाना चाहिए ताकि उनके मन में यह बैठ जाए कि यह शाखा बैंकिंग कारोबार करने के लिए प्राधिकृत है।

शाखा लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया

आवेदनपत्रों के निपटान में तेजी लाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की शाखाएं खोलने, स्थान परिवर्तन, विलयन या परिवर्तन के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों पर संबंधित अधिकार प्राप्त समितियों को संदर्भित किए बिना ही निर्णय लेने के लिए शक्तियां प्रदान की जाए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उक्त आवेदन पत्र उस नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय के जरिए रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजना जारी रखेगें जो आवेदन पत्र के गुणदोषों के संबंध में अपनी टिप्पणियां देगा और उसकी अग्रिम प्रतिलिपि रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजेगा। आवश्यकता होने पर रिज़र्व बैंक का क्षेत्रीय कार्यालय संबंधित राज्य सरकार से परामर्श करेगा। अब तक की तरह ही शाखाओं के स्थान परिवर्तन, विलयन, और परिवर्तन के लिए जिला परामर्शदात्री समिति का अनुमोदन आवश्यक रहेगा।

फेमा

विदेशी मुद्रा अर्जकों/निर्यातकों/प्राधिकृत व्यापारी को रियायतें

विदेशी मुद्रा अर्जक विदेशी मुद्रा खाता (ईईएफसी), निर्यातकों द्वारा बुक की गई वायदा संविदाओं के निरसन और उनकी दुबारा बुकिंग तथा प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों की निवल ओवरनाइट खुली स्थिति सीमा (एनओओपीएल) को नियंत्रित करने वाले विद्यमान दिशानिर्देशों की समीक्षा के उपरांत भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा अर्जकों/निर्यातकों और प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों को निम्नलिखित परिचालनात्मक लचीलापन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है:

- इइएफसी खाते में 100 प्रतिशत विदेशी मुद्रा आय को जमा करने की अनुमति देने वाले पहले के निर्धारण को इस शर्त के अधीन लागू किया जाए कि किसी कैलेण्डर माह के दौरान खाते में उपचित कुल राशि को अनुमोदित प्रयोजनों अथवा वायदा प्रतिबद्धताओं के लिए शेष के उपयोग हेतु समायोजन के बाद वाले कैलेण्डर महीने के अंतिम दिन को अथवा उसके पहले रुपए में परिवर्तित किया जाए;
- अपने निवेश के बचाव के लिए बुक की गई कुल संविदाओं के 25 प्रतिशत की सीमा तक वायदा संविदाओं के निरसन और दुबारा बुकिंग के लिए निर्यातकों को अनुमति दी जाए; और
- मुद्रा के रूप में रुपए को शामिल करने वाली निवल ओवरनाइट खुली स्थिति सीमा की गणना के लिए प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी-1 बैंकों को अपनी समुद्रपारीय शाखाओं द्वारा ली गई स्थिति अथवा विकल्प स्थिति के डेल्टा को भी शामिल करने की जरूरत नहीं है। तथापि, यह स्पष्ट किया जाता है कि ये स्थितियाँ सारी मुद्रा स्थितियों तथा विदेशी मुद्रा कारोबार मुद्रा फ्यूचर्स / विकल्प लेनदेन से उत्पन्न स्थितियों के साथ बैंकों के कुल विदेशी मुद्रा निवेश की गणना के लिए कुल निवल ओवरनाइट खुली स्थिति सीमा (एनओओपीएल) का एक भाग बनी रहेंगी।

उल्लंघनों की कंपाउंडिंग

रिज़र्व बैंक ने यह स्पष्ट किया है कि कंपाउंडिंग के लिए विनिर्दिष्ट आवेदन पत्र में उल्लंघन का संदर्भ प्राप्त होने से इतर जब भी रिज़र्व बैंक द्वारा उल्लंघन की पहचान की जाती है या किसी कंपनी (एंटिटी) द्वारा उल्लंघन में शामिल होने के बारे मे बैंक के ध्यान में लाया जाता है, तो बैंक यह निश्चित करना जारी रखेगा कि:

(i) क्या उल्लंघन तकनीकी और/या हल्के स्वरूप का है और इसलिए इस संबंध में प्रशासनिक/सचेतक सूचना जारी करने के मार्फत उस पर कार्रवाई की जा सकती है,

(ii) क्या उल्लंघन मैटीरियल स्वरूप का है और इसलिए उसकी कंपाउंडिंग करना आवश्यक है जिसके लिए पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाए, या

प्रत्येक माह की 30 तारीख को प्रकाशित, प्रत्येक माह के अंतिम दो कार्यदिवसों में मुंबई पत्रिका चैनल, सॉर्टिंग ऑफिस-जीपीओ में प्रेषित **Regd. No. MH/MR/South-29/2012-14**

(iii) क्या उसमें शामिल मुद्दे गंभीर, संवेदनशील या गंभीर स्वरूप के हैं और इसलिए उन्हें प्रवर्तन निदेशालय को संदर्भित करने की जरूरत है।

रिज़र्व बैंक ने पुनः यह स्पष्ट किया है कि एक बार संबंधित कंपनी द्वारा स्वयं कंपाउंडिंग के लिए आवेदन करने एवं उसे (उल्लंघन)स्वीकार करने पर उसके 'तकनीकी' या 'मटीरियल' अथवा 'माइनर' स्वरूप पर विचार नहीं किया जाएगा और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 15 (1) के साथ पठित विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग कार्रवाई) नियमावली, 2000 के नियम 9 के अनुसार कंपाउंडिंग की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

सूचना

अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) को कारगर बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ग्रामीण ऋण वितरण प्रणाली में संरचनात्मक बाध्यताओं पर ध्यान केंद्रित करने तथा ऋण ज़रूरतों को पूरा करने के लिए समुचित संस्थाओं और ऋण लिखतों के साथ ग्रामीण सहकारी ऋण ढांचे को मज़बूत करने के लिए विभिन्न उपायों का पता करने हेतु श्री प्रकाश बख्शी, अध्यक्ष, नाबार्ड की अध्यक्षता में विद्यमान अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया है। यह समिति अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) का गहन विश्लेषण करेगी तथा विद्यमान तीन-स्तरीय संरचना के बदले एक दो-स्तरीय अल्पकालिक सहकारी ऋण संरचना (एसटीसीसीएस) के गठन की संभावना सहित ऋण लागत को कम करने की दृष्टि से विभिन्न विकल्पों की जाँच करेगी।

विचारणीय विषय

- कृषि ऋण की अपेक्षा को पूरा करने में राज्य और जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा अदा की गई भूमिका का आकलन करना जिस प्रारंभिक प्रयोजन के लिए उनका गठन किया गया है।
- उन सहकारी बैंकों की पहचान करना जो दीर्घावधि में धारणीय नहीं हो सकते हैं यद्यपि उनमें से कुछ ने थोड़े समय के लिए लाइसेंस देने के सरलीकृत मानदण्ड को पूरा किया है।
- आमेलन, विलय, अधिग्रहण, समापन और विलंबन के माध्यम से समेकन हेतु समुचित व्यवस्था सुझाया जाना।
- उन पूर्वकृत उपायों को सुझाया जाना जिन्हें स्वयं सहकारी बैंकों, भारत सरकार, राज्य सरकारों, भारतीय रिज़र्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा इस दिशा में किया जाना ज़रूरी है।
- इस विषयवस्तु के प्रासंगिक अन्य कोई मुद्दा और मामला।

सरकारी प्रतिभूतियों में चलनिधि बढ़ाने तथा ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार पर कार्यदल की रिपोर्ट

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 13 अगस्त 2012 को अपनी वेबसाईट पर सरकारी प्रतिभूतियों में चलनिधि बढ़ाने तथा ब्याज दर डेरिवेटिव बाजारों पर कार्यदल की रिपोर्ट (अध्यक्षः श्री आर. गाँधी, कार्यपालक निदेशक) जारी किया है। इस कार्यदल ने विभिन्न अनुशंसाएं की हैं जिन्हें आवश्यक अनुशंसाओं, वांछनीय अनुशंसाओं और परिचालन अनुशंसाओं में वर्गीकृत किया गया है। इस कार्यदल द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण अनुशंसाएं इस प्रकार हैं :

सरकारी प्रतिभूति बाज़ार

- रिपोर्ट में उल्लिखित आदर्श योजना के आधार पर बकाए सरकारी प्रतिभूतियों का समेकन;
- प्रत्येक प्राथमिक व्यापारी को उनमें बाज़ार तैयार करने के लिए विशिष्ट प्रतिभूतियों का आबंटन;
- देश की समग्र बाह्य ऋण स्थिति, चालू खाता घाटा, सरकारी उधार कार्यक्रम के आकार आदि को ध्यान में रखते हुए सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए निवेश सीमा में क्रमिक वृद्धि;
- संस्थाओं और अन्य स्टेकधारकों के लिए एक समायोजित तरीके से परिपक्वता तक धारित पोर्टफोलियो को अवरोध रहित बनाने के लिए उच्चतम सीमा को क्रमिक रूप से नीचे लाने पर एक रूपरेखा तैयार की जा सकती है; और
- 'लीवरेज़' पर उपयुक्त प्रतिबंधों के साथ सावधि रिपो बाज़ार को प्रोत्साहन तथा सरकारी प्रतिभूतियों में त्रिपक्षीय रिपो का प्रवर्तन

खुदरा सहभागिता

- बैंकों की सेवाएं (यदि संभव हो तो व्यापक स्तर पर तथा भारत सरकार के परामर्श से डाकघर) का उपयोग वितरण माध्यम के रूप में तथा व्यक्तिगत निवेशकों के साथ इंटरफेस के लिए किया जाए; और
- दीर्घावधि में सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा सहभागियों के लिए एक केंद्रीकृत बाज़ार निर्माणकर्ता पर विचार किया जाए जो खुदरा/व्यक्तिगत निवेशकों के लिए दुतरफा कीमतें उद्धृत करेंगे।

ब्याज दर डेरिवेटिव बाज़ार

- ब्याज दर स्वैप (आइआरएस) बाज़ार के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक स्वैप निष्पादन सुविधा (इलेक्ट्रॉनिक कारोबार प्लेटफार्म) को किसी केंद्रीय प्रतिपक्षी व्यवस्था के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के माध्यम से गारंटीकृत निपटान के लिए लागू की जाए;
- बीमा कंपनियों, भविष्य निधि तथा वित्तीय रूप से मज़बूत अन्य संस्थाओं को आइआरएस बाज़ार में सहभागिता की अनुमति दी जाए;
- वायदा संविदाएं जिन्हें ओवरनाईट मांग उधार दर पर आधारित ब्याज दर फ्यूचर्स (आइआरएफ) जैसे सहभागिता हितों को आकर्षित करने की उच्चतर संभावना है, को लागू किया जाए; और
- प्रतिबंधित सहभागिता, संस्था आधारित खुली स्थिति सीमा, मूल्य सीमा आदि जैसे समुचित विनियमों के अधीन नकद निपटाए गए 10 वर्षीय आइआरएफ को लागू किया जाए।

रिज़र्व बैंक इस कार्यदल द्वारा की गई अनुशंसाओं की जांच करेगा और समुचित कार्रवाई आरंभ करेगा।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग**, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑनलुकर प्रेस,** 16, ससून डॉक, कुलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित।

ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए मुख्य महाप्रबंधक, संचार विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय भवन, 12वीं मंज़िल, फोर्ट, मुंबई 400 001 को लिखें। कृपया कोई मांग ड्राफ्ट/चेक न भेजें। मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू इंटरनेट www.mcir.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध है।